



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना (मोप्र०)
क्रमांक/शस्त्र शाखा/2018/5 14

सतना, दिनांक 31.12.2018

आदेश

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण के संबंध में लायसेंसधारी अपने शस्त्र के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट सतना के कार्यालय में नवीनीकरण के लिए उपस्थित होते हैं। कई शस्त्र लायसेंसधारी काफी बृद्ध होते हैं, जिस कारण उन्हें शस्त्र के साथ अपने निवास स्थान से कलेक्टर तक आने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सभी लायसेंसधारियों के अपने शस्त्र के साथ उपस्थित होने से कलेक्टर में काफी भीड़ होती है, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः शस्त्र लायसेंसधारियों की सुविधा को देखते हुए एवं प्रशासकीय कार्य की सुविधा को दृष्टिगत स्थित हुए आदेशित किया जाता है कि सभी लायसेंसधारी अपने थाना क्षेत्र में अपने शस्त्र के साथ पहुँचकर शस्त्र का निरीक्षण कराकर, तदाशय की प्रविष्टि लायसेंस-बुक में दर्ज करायेंगे एवं लायसेंस-बुक तथा आवेदन-पत्र के साथ अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में नवीनीकरण हेतु उपस्थित होंगे। शस्त्र लायसेंसधारियों को नवीनीकरण हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शस्त्र लेकर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्रों का विधिवत् निरीक्षण किया जाकर, लायसेंस-बुक में निरीक्षण तिथि, वर्ष एवं आवश्यक प्रविष्टियों का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावे।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

"आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।"

(डॉ. सतेन्द्र सिंह)
S.P.

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (मोप्र०)

पृष्ठा: क्रमांक/शस्त्र शाखा/2018/5 14

सतना, दिनांक 31.12.2018

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्ता, रीवा सम्भाग रीवा।
3. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा सम्भाग रीवा।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक, रीवा सम्भाग रीवा।
5. पुलिस अधीक्षक, रातना। कृपया उक्त आदेश के संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों को अपने स्तर से आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।
6. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला सतना।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला सतना।
8. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जिला सतना।
9. समस्त थाना प्रभारी जिला सतना की ओर पालनार्थ।

१०. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी, एन.आई.सी. सतना की ओर जिले की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

11. उप संचालक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सतना की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (मोप्र०)
सतना (पा.)